न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 94 / 2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर पुत्र अमीलाल।
2 सुबेसिंह पुत्र अमीलाल।
3 धन्नी बेवा अमीलाल।
4 बुद्धराम पुत्र भगवाना।
5 अन्नकोरा बेवा चन्दगीराम (फौत)
6 बंजरग पुत्र चन्दगीराम।
7 महीपाल पुत्र चन्दगीराम।
8 विनोद पुत्र चन्दगीराम (फौत)।
9 फुला बेवा शीशराम (फौत)।
10 रामकिशन पुत्र शीशराम।
11 पृथ्वी सिंह पुत्र शीशराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12 सज्जन पुत्र शीशराम समस्त जाति जाट निवासीगण सूजडौला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
13 तथाकथित कालुराम पुत्र दिलसुख जाति मेघवंशी साकिन सुजडौला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.12
उनवानी दावा बलबीर आदि बनाम बुद्वराम आदि
मु.नं. 413/2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह
आर.ए.एस.

उपस्थित

1. राजकीय अधिवक्ता
2. श्री संजय सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 13/1/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 413/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2012 से वाद वादी डिक्री किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट की और से अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई।

अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा फोटो कॉपी निर्णय देने पर दिनांक 12.04.2017 को हुई जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। आवेदन स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद माने जाने की आज्ञा फरमाई जाकर अपील की सुनवाई की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2012 का है इसकी अपील अपीलांट द्वारा 11.07.2017 को 5 साल की देरी से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा देरी का समुचित कारण अंकित नही किया गया है। अपीलांट भूमिधारक है अत उन्हे निर्णय की जानकारी नही होने का कथन करना विश्वास योग्य नही है विचारण न्यायालय में अपीलांट के समन बाद तामील प्राप्त हुये है उनके द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है दिन प्रतिदिन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन द्वितीय अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की देरी का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन अस्वीकार कर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 234 एवं आर0 आर0 टी0 2015 (1) पेज 232 प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय ने कमांक 5103 दिनांक 13.08.2008 से 17.09. 2008 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया । जिस पर दिनांक 18.08.2008 को अपीलांट द्वारा यह नोटिस प्राप्त किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट उपस्थित नहीं हुये हैं। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2009 को समन बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश दिये गये। अपीलांट ने अपने आवेदन में इस तामील बाबत एवं दिन प्रतिदिन की देरी का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2012 का है, इसके विरूद्ध यह अपील 5 वर्ष की देरी से दिनांक 11.07. 2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा देरी का समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में अपीलांट का आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है एवं अपील मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर मानी जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.20018 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/11/18

(करतार सिंह पूनियां)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर।